

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, पाकुड़।

(समग्र शिक्षा अभियान)

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या : 01/2019

- विज्ञापनदाता का नाम एवं पता : जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़
- परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि एवं पता : क) दिनांक 08.07.2019, को पूर्वाह्न 10:30 से 05:30 तक  
ख) पता : समग्र शिक्षा अभियान, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, पाकुड़ मुख्य डाकघर, पाकुड़ के समीप, जिला- पाकुड़, पिन- 816107
- निविदा प्राप्ति की तिथि एवं पता : क) दिनांक : 10.07.2019, अपराह्न 03:00 तक,  
ख) पता : क्रम 2 (ख) के अनुसार
- निविदा खोलने की तिथि एवं पता : क) दिनांक : 10.07.2019, अपराह्न 03:30 बजे,  
ख) पता : क्रम 2(ख) के अनुसार
- योजना मद : आकांक्षी जिला शिक्षा प्रक्षेत्र योजना मद
- कार्य विवरणी : -

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु०)	अग्रधन की राशि (रु०)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु०)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Development of 12 Smart Classroom in Pakur Block of Pakur District under Aspirational District Programme	14,56,800.00	29200	2000	15 दिन
2	Development of 07 Smart Classroom in Hiranpur Block of Pakur District under Aspirational District Programme	8,49,800.00	17000	2000	15 दिन
3	Development of 10 Smart Classroom in Littipara Block of Pakur District under Aspirational District Programme	12,14000.00	24500	2000	15 दिन
4	Development of 07 Smart Classroom in Amrapara Block of Pakur District under Aspirational District Programme	8,49,800.00	17000	2000	15 दिन
5	Development of 15 Smart Classroom in Maheshpur Block of Pakur District under Aspirational District Programme	18,21,000.00	36500	2000	15 दिन
6	Development of 08 Smart Classroom in Pakuria Block of Pakur District under Aspirational District Programme	9,71,200.00	19500	2000	15 दिन

शर्त :-

- भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार अन्तर्गत पंजीकृत संवेदक ही निविदा दे सकेंगे।
- निविदादाता को वणिज्यकर विभाग (GST) एवं आयकर विभाग का अद्यतन निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- चयनित संवेदक को उल्लेखित मानक के अनुरूप, निर्धारित समय-सीमा में (कार्यादेश निर्गत तिथि से 15 दिन के अंदर) कार्य का निष्पादन पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में सुरक्षित राशि जब्त करते हुए विभागीय कार्रवाई की बाध्यता होगी।
- उल्लेखित कार्य के लिए भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचित दर से अधिक दर मान्य नहीं होगा
- परिमाण विपत्र का क्रय एवं अग्रधन की राशि का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट जो District Programme Coordinator, Rashtriya Madhiksha Abhiyan, Pakur के नाम देय तथा भुगतान हो के साथ किया जा सकेगा। परिमाण विपत्र के साथ अग्रधन की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
- निविदा का निष्पादन संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष निर्धारित तिथि को निविदा समिति द्वारा किया जायेगा।
- विज्ञापनदाता को किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द एवं संशोधन का अधिकार सुरक्षित होगा। विवाद की स्थिति में उपायुक्त, पाकुड़ का निर्णय अंतिम होगा।
- निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी <https://pakur.nic.in> पर प्राप्त की जा सकती है।

ह०/

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पाकुड़।